Parimal Nathwani
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

Member:
Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice
Consultative Committee, Ministry of Commerce and Industry
Permanent Special Invitee:
Consultative Committee, Ministry of External Affairs

सत्यमेव जयते

165, South Avenue,
New Delhi - 110 011
Ph.: 011-23794010
e-mail : parimal.nathwani@sansad.nic.in

' Vraj ', Opp. HDFC Bank,
Beside Chandanbala Tower,
Nr. Suvidha Shopping Centre,
Paldi, Ahmedabad - 380 007

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड को पिछले पांच वर्षों में कोयले की रॉयल्टी के रु. 5834 करोड़ का भुगतान

2011-12 के लिए रु. 1430 करोड़

कोयला मंत्रालय का राज्य सभा में सांसद नथवाणी को उत्तर

रांची : अगस्त 13, 2012 : केन्द्र सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान झारखण्ड सरकार को रु. 5834.27 करोड़ का भुगतान किया गया। वर्ष 2011-12 के लिए कोयले पर रॉयल्टी की धन राशि रु. 1430.54 करोड़ थी। केन्द्रीय कोयला राज्य मंत्री श्री प्रतिक प्रकाशबापू पाटील ने आज राज्य सभा में सांसद श्री परिमल नथवाणी के एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

मंत्री महोदय ने रॉयल्टी के मामले पर केन्द्र सरकार और झारखण्ड सहित राज्य सरकारों के बीच कोइ विवाद न होने की बात स्पष्ट की। श्री नथवाणी ने कोयला उत्पादक राज्यों को रॉयल्टी के भुगतान के लिए अपनाये गए मानदण्डों के बारे में भी जानना चाहा था। इसके उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार ने 10 मई 2012 से कोयला और लिग्नाइट पर रॉयल्टी वसूलने के लिए पहले की हाईब्रीड़ फोर्म्युला के स्थान पर एड़-वेलोरम (यथामूल्य) व्यवस्था को अपनाया है। मई 10, 2012 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 349 (ई) के अनुसार कोयले पर 14 प्रतिशत और लिग्नाईट पर 6 प्रतिशत रॉयल्टी है।

मंत्री महोदय द्वारा दिये गए विवरण के मुताबिक झारखण्ड को अदा की गई रॉयल्टी साल दर साल बढ़ती रही है। वर्ष 2007-08 के दौरान वह रु. 909.66 करोड़ थी, जो वर्ष 2008-09 में बढ़कर रु. 1067.22 करोड़ हुई। कोयले पर 2009-10 में रु. 1142.34 करोड़ और वर्ष 2010-11 में रु. 1284.51 करोड़ रॉयल्टी दी गई। झारखण्ड सहित अन्य कोयला उत्पादक राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल, उडीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और असम में से झारखण्ड कोयले पर सर्वाधिक रॉयल्टी प्राप्त करनेवाला राज्य है।

मंत्रीजी ने यह भी बताया कि कोयले पर रॉयल्टी का भुगतान सम्बंधित राज्य सरकारों को कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा सीधे किया जाता है।

✸ ✸ ✸